

प्रेस नोट दिनांक-04.08.2022

(1). दिनांक-03.08.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(2). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में अवैध शराब निर्माण एवं विक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 अभियुक्तों के कब्जे से 80 क्वार्टर देशी शराब बरामद की।

(क). उ0नि0 श्री इमरान खान थाना भरतकूप तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राकेश श्रीवास्तव पुत्र निरंजन निवासी रामपुरवा पहरा थाना भरतकूप चित्रकूट को 26 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आभकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

26 क्वार्टर देशी शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री इमरान खान थाना भरतकूप
2. मु0 आरक्षी त्रिलोकी नाथ मिश्रा

(ख). वरि0उ0नि0 श्री कृपानन्दन शर्मा थाना भरतकूप तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त विनोद कुमार पुत्र रामभवन पटेल निवासी रामपुर माफी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 24 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आभकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

24 क्वार्टर देशी शराब

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. वरि0उ0नि0 श्री कृपानन्दन शर्मा थाना भरतकूप
2. आरक्षी मो0 इरफान

(ग). उ0नि0 श्री हारुन रासिद खां थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सुरेश कुमार पुत्र शारदा प्रसाद निवासी लक्ष्मणपुर थाना मानिकपुर चित्रकूट को 30 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आभकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

30 क्वार्टर देशी शराब

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री हारुन रासिद खां थाना मानिकपुर
2. आरक्षी राजीव सिंह
3. आरक्षी यशराज

(4). आज दिनांक 04.08.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया।

(5). श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अतुल कुमार शर्मा के निर्देशन में वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 07 वांछित/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया

(क). चौकी प्रभारी श्री योगेश तिवारी तथा उनकी टीम द्वारा मु0नं0 438/15 धारा 148,352,504 IPC व 26/52 वन अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त 1. बिन्दु पुत्र सुखलाल, 2. सुखलाल पुत्र मुरारी 3 दिनेश पुत्र रहिसवा, निवासी भंवटीपुरवा मजरा गढ़चपा मानिकपुर चित्रकूट. चित्रकूट से गिरफ्तार किया गया।

(ख). चौकी प्रभारी जिला अस्पताल श्री अंजनी कुमार सिंह तथा उनके हमराही द्वारा मु0न0 1458/2008 धारा 323 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त 1. संतोष पुत्र सुरेश 2. दिनेश पुत्र मुन्ना लाल निवासीगण भरतपुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ग). उ0नि0 श्री कन्हैया बक्स सिंह थाना कोतवाली कर्वी एवं उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 250/22 धारा 438ए/304बी भादवि व 03/04 द0प्र0 अधि0 के वांछित अभियुक्ता श्रीमती अनूपा देवी पत्नी रामप्रकाश पाण्डेय निवासी भरतपुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(घ). उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा मु0नं0 42/19 धारा 354/323/504/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त मुन्ना उर्फ भुजवल उर्फ गूंगा मौर्य निवासी नांदी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). आज दिनांक 04.08.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(7). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक परिवार परामर्श केन्द्र श्रीमती रीता सिंह द्वारा पति पत्नी के आपसी विवाद को समाप्त कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती दीपिका सिंह पुत्री श्री धर्मराज निवासी कछार पुरवा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष में प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके पति लवकुश सोनी पुत्र श्यामसुन्दर सोनी उसके साथ लड़ाई झगडा करते है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समस्या के निस्तारण हेतु प्रभारी निरीक्षक परिवार परामर्श केन्द्र श्रीमती रीता सिंह एवं आरक्षी मंजूलता पाल शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत को सुनकर समझकर, उसके पति से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय बुलाया गया तथा दोनो पक्षों को समजाया गया। समझाते हुए भविष्य लड़ाई में

झगड़ा न करने की बात कही गयी । दोनों पक्ष आपस में सुलह समझौता कर लिए हैं । प्रभारी निरीक्षक परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा दोनों को भविष्य में लड़ाई झगड़ा न करने हेतु तथा आपस में समन्वय बनाकर रहने एवं पति पत्नी के कर्तव्यों का निर्वहन करने की सलाह दी गयी ।